N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0229 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 11/10/2024 21:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/10/2024 Date To (दिनांक तक): 09/10/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:40 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/10/2024 Time (समय): 20:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/10/2024 21:45:37 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 90 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): panjiyan karyalya tehsildar, tehsil shahabad baran
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** hari singh
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** man singh
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	shahabad, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	shahabad, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	hemraj tatiwal		पिता:kanaram tatiwal	1. E-8,Premnagar second gurjar ki thadi,new sanganer road,jaipur,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.2024 समय 3.00 पीएम पर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा पुत्र स्व0 श्री मानसिंह हाडा जाति राजपूत उम्र 27 साल निवासी शाहबाद जिला बारां राजस्थान ने ब्यूरो कार्यालय एसीबी बारां मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि "मैं प्रार्थी हरिसिंह हाडा पुत्र स्व0 श्री मानसिंह हाडा शाहबाद जिला बारां का निवासी हूं। मैने 5-6 दिन पूर्व मेरी माता जी बेबी कंवर के नाम से हमारे मकान का पट्टा ग्राम पंचायत शाहाबाद से बनवाकर उसकी रजिस्टर्ड करवाने हेतु तहसील शाहाबाद के हेमराज बाबू जी को दिया था। अब मुझे मेरा पट्टा वापस देने के बदले 2000 रूपये मांग रहा है। मैं उक्त बाबू को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी श्री हरिसिंह ने पुछताछ में बताया कि मेरी श्री हेमराज बाबू से कोई रंजिश व पुराना उधार लेन देन बकाया नही है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। परिवादी हरिसिंह हाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने पर रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने पर परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज हेमराज बाबू जयपुर गया है तथा दो दिन का राजपत्रित अवकाश होने के कारण वो नही मिलेगा। मैं दिनांक 04.10.2024 को ऑफिस में जानकारी करके आपको बता दूंगा। इस पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा को चालू व बंद करने की विधि बताकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया गया। श्री मनोज कानि0 211 को बुलाकर परिवादी का परिचय श्री मनोज कानि0 211 से करवाया गया व एक दूसरे के मोबाईल नम्बर नोट करवाये गये। बाद समझाईश डिजीटल वाईस रिकार्डर वापस मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत कर सकुशल रूकसत किया गया। दिनांक 04.10.2024 समय 7.31 एएम पर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया। परिवादी ने बताया कि आज मेरी हेमराज बाबू जी से रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती है। अतः आप आपके कार्यालय से किसी कर्मचारी को डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर भिजवाये। इस पर मन् उप अधीक्षक ने समय 11.00 ए0एम0 पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवा कर सुपुर्द किया तथा हिदायत दी गई कि शाहबाद पहुंचकर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा से सम्पर्क कर उसे डिजीटल वाईस रिकार्ड चालू व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाये तथा सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को आरोपी के कार्यालय में रवाना कर कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करें। फर्द सुपरदगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्रथक से मुर्तिव की गई। दिनांक 04.10.2024 समय 5.30 पी0एम0 पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 वापस कार्यालय हाजा आया डिजीटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मैं चौकी से रवाना होकर कस्बा शाहबाद पहुंचा, जहां गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा से सम्पर्क कर उसे डिजीटल वाईस रिकार्ड चालू व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया तथा रिकार्डर चालू कर सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को आरोपी हेमराज बाबूजी के कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद में रवाना कर मैं भी कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करने लगा। थोडी देर बाद परिवादी श्री हरि सिंह हाडा मेरे पास आया। मैने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै शाहबाद तहसील कार्यालय में गया था लेकिन मुझे वहां बाबू हेमराज नही मिला। इस पर मैने तहसील कार्यालय में कार्यरत् एक महिलाकर्मी से पूछा तो हेमराज के अवकाश पर जाने की बात बताई और कहां कि हेमराज जी तो अब सोमवार को ही आयेंगे। परिवादी को निर्देशनुसार कस्बा शाहबाद में ही रूकसत कर रवाना होकर कार्यालय आया। मन् उप अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 07.10.2024 समय 10.00 ए0एम0 पर श्री मनोज कानिस्टेबल 211 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवा कर सुपुर्द कर सत्यापन हेतु परिवादी श्री हरिसिंह के पास शाहबाद रवाना किया गया। मनोज कुमार कानिस्टेबल को हिदायत दी गई कि शाहबाद पहुंचकर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा से सम्पर्क कर उसे पुनः डिजीटल वाईस रिकार्ड चालू व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रिकार्ड करने का

तरीका समझाये तथा सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को आरोपी के कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां में रवाना कर कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करें। फर्द सुपर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार की गई। दिनांक 07.10.2024 समय 4.30 पी0एम0 पर श्री मनोज कानिस्टेबल 211 वापस कार्यालय हाजा आया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया किया कि मैं चौकी से रवाना होकर कस्बा शाहबाद समय 01.15 पीएम पर पहुंचा, जहां गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री हरिसिंह हाडा से सम्पर्क कर उसे पुनः डिजीटल वाईस रिकार्ड चालू व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया तथा समय करीब 01.25 पीएम पर रिकार्डर चालू कर सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को आरोपी के कार्यालय तहसील शाहबाद में रवाना किया । तथा मैं भी तहसील कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करने लगा। थोडी देर बाद परिवादी श्री हरि सिंह हाडा मेरे पास आया। मैने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै शाहबाद तहसील कार्यालय में गया था वहां मुझे हेमराज बाबूजी मिले। मैंने हेमराज बाबू जी से हमारे पटटे की रजिस्ट्री के बारे में बात की तो उसने तहसीलदार साहब के पास होने की बात कही तो बाबू जी ने वार्ता कर मेरे से 500 रूपये प्राप्त कर लिये और कहा कि मेरे तो आ गये अब 1000 रूपये तहसीलदार साहब के और 500 रूपये लाल सिंह को और देने है। इस पर मैने बाद में देने अथवा फोन पे करने की कहा जिस पर आरोपी हेमराज ने अपनी सहमति व्यक्त की। बाद सत्यापन आपको हालात अर्ज कर परिवादी के निजी आवश्यक कार्य होने से उसको कस्बा शाहबाद में ही रूकसत कर रवाना होकर कार्यालय आया । मन् उप अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकार्डर मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 08.10.2024 समय 03.00 पी0एम0 पर परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 09.10.2024 को ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 को कार्यालय पत्रांक 1235 दिनांक 08.10.2024 श्रीमान् अधीषाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 बारां के नाम सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाह को दिनांक 09.10.2024 समय 09.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने के लिये रवाना किया। दिनांक 08.10.2024 समय 04.00 पी0एम0 पर श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 वापस कार्यालय हाजा आया बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर श्रीमान् अधीषाशी अभियन्ता सा0नि0वि0 बारां के कार्यालय पहुंचकर श्रीमान् अधीषाशी अभियन्ता को कार्यालय पत्र पेश कर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करने पर उन्होने उनके कार्यालय पत्रांक 1418 दिनांक 08.10.2024 से दो स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल पंकज मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री महेन्द्र सिंह मोबाईल नम्बर [redacted] उपलब्ध करवाये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 09.10.2024 समय 09.00 एएम पर चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यालय पत्रांक 1418 दिनांक 08.10.2024 लेकर आया। पत्रांक बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.10.2024 समय 05.00 पी0एम0 पर कार्यालय स्टाफ को दिनांक 09.10.2024 को समय 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 8.30. ए0एम0 पर परिवादी श्री हरिसिंह उपस्थित कार्यालय आया। कार्यालय हाजा का स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर तसल्ली पूर्वक कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 9.00 ए0एम0 पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 33 साल निवासी जगजीवन राम कॉलोनी पाबूजी महाराज के चबूतरे के पास बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0 विभाग बारां मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री राहुल पंकज पुत्र श्री मोडूलाल जी जाति धोबी उम्र 24 साल निवासी मण्डोला छापर जिला बारां हाल सहायक कर्मचारी सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बारां मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित आये। जिनका परिचय मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया। जिसमें से श्री राहुल पंकज स्वतन्त्र गवाह ने तबीयत खराब होना बताया। जिस पर अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 बारां ने श्री करण शाक्यवाल कनिष्ठ सहायक को श्री राहुल पंकज के स्थान पर मनोनीत किया। दिनांक 09.10.2024 समय 9.10 ए0एम0 पर श्री राहुल पंकज के स्थान पर मनोनीत स्वतन्त्र गवाह श्री करन शाक्यवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोली उम्र 28 साल निवासी किशनगंज जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला बारां। मो0न0-[redacted] उपस्थित आने पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री करन शाक्यवाल व श्री महेन्द्र सिंह का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री हरिसिंह से परिचय कराया गया। बाद परिचय होने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया गया दोनो गवाहो से होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे उपस्थित रहने की मौखिक सहमती चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा 01.10.2024 को पेश प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 09.10.2024 समय 9.15 ए0एम0 पर मालखाना से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी हरि सिंह व आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 07.10.2024 को कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द

ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हू ब हू तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 09.10.2024 समय 11.30 ए0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री करन शाक्यवाल व श्री महेन्द्र सिंह के समक्ष परिवादी श्री हरिसिंह हाडा ने अपने पास से निकालकर आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच पांच सौ के 3 नोट कुल 1500/- मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 PS 543584 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 UW 647966 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 FL 623554 उपरोक्त नोटों के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाकर उनकी उपस्थिति में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शिशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृष्य रहे। परिवादी श्री हरि सिंह हाडा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री करन शाक्यवाल से लिवाई जाकर परिवादी श्री हरि सिंह हाडा के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 1500 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक से रखवाये गये। इसके बाद श्री दिनेश कानिस्टेबल 360 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। समझाईश प्रक्रिया के बाद डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाया तथा जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि /नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीषी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीषियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा मैने भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से धोये। परिवादी श्री हरिसिंह हाडा को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावष्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री हरिसंह हाडा को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थ्लीन पाउडर नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये तथा फर्द शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 09.10.2024 समय 12.15 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, श्री ज्ञानचंद सहायक उप निरीक्षक, श्री मनोज शर्मा कानि0 211, श्री दिनेश कुमार कानि0 360, श्री लोकेश कानिस्टेबल 362 मय परिवादी श्री हरिसिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री करन शाक्यवाल व महेन्द्र सिंह के प्राईवेट वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के शाहबाद के लिये रवाना हुआ। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 को कार्यालय में निगरानी हेतु छोडा गया। दिनांक 09.10.2024 समय 01.30 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रेमचन्द, मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनों से कस्बा शाहबाद आरोपी के कार्यालय तहसील शाहबाद से कुछ दूरी पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, दोनो वाहनो को हाईवे रोड से बाईपास रोड की साईड में खडा करवाया। परिवादी श्री हरिसिंह ने आरोपी हेमराज के कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में जानकारी की तो आरोपी लन्च टाईम होने से उसके कार्यालय में नही है। आरोपी करीब ढाई-तीन बजे तक कार्यालय में आयेगा। समय 03.20 पी0एम0 पर परिवादी से आरोपी के कार्यालय में होने की जानकारी करवाई तो आरोपी श्री कनिष्ठ सहायक उसके कार्यालय तहसील शाहबाद में होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस पर परिवादी हरिसिंह को रिश्वत लेन देन वार्ता करने हेतु डिवीआर चालू कर सुपुर्द किया तथा आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक के पास तहसील शाहबाद रिश्वत लेनदेन हेतु रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता परिवादी के पीछे पीछे कार्यालय तहसील शाहबाद के मुख्य द्वार के सामने शाहबाद से शिवपुरी की और जाने वाले मैन रोड पर छुपाव हांसिल करते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुआ एवं ट्रेप जाल बिछाया। परिवादी रवाना होकर तहसील कार्यालय शाहबाद के भवन के अन्दर चला गया। दिनांक 09.10.2024 समय 03.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री हरिसिंह ने तहसील कार्यालय शाहबाद के मुख्य द्वार से बाहर आकर रिश्वत लेनदेन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ मय स्वतन्त्र गवाह के साथ परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी के पास से डिवीआर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आरोपी हेमराज बाबूजी ने रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है तथा गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी है। इस पर मन उपअधीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर तहसील कार्यालय शाहबाद के कमरा 07 में पहुंचा जहां परिवादी ने एक व्यक्ति जिसने

नीली रंग की जीन्स की पेन्ट व नीली रंग की चैक शर्ट पहने हुये था, की तरफ ईशारा कर बताया कि यही हेमराज पंजीयन बाबू है जिसने मुझसे रिश्वत राशि 1500/- रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी है । इस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने का उददेष्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उससे उसका नाम पता पुनः पूछा तो उसने अपना नाम श्री हेमराज टाटीवाल पुत्र श्री स्व0 कानाराम जाति बैरवा उम्र 33 साल निवासी म0न0 ई-8 प्रेमनगर द्वितिय गुर्जर की थडी जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां होना बताया। उससे जब परिवादी हरिसिंह से ली गई रिश्वत राशि 1500/- रूपये के संबंध में पूछा तो उसने बताया की श्री हरिसिंह ने उसके मकान का पट्टा बनवाकर रजिस्ट्रर्ड करवाने के लिए मुझें दिया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.10.2024 को हरिसिंह मेरे पास आया था। उस दिन हरिसिंह ने मुझे 500/- रूपये दिये थे। जो मुझसे खर्च हो गये है। उसके बाद मेंने पट्टे पर तहसीलदार साहब के हस्ताक्षर करवाकर रख लिया था। आज हरिसिंह मेरे पास उसका रजिस्टर्ड पट्टा लेने आया तो मैंने हरिसिंह को मूल पट्टा दे दिया। जिसकी एवज में हरिसिंह ने मुझे 1500/- रूपये दिये थे जो मैंने उससे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये थे, जो अभी मेरे पास ही रखे है। तत्पश्चात आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि किसके लिये ली गई बाबत पुछा तो आरोपी ने बताया कि मैने उक्त राशि लालसिंह व नायब तहसीलदार के नाम से मेरे स्वयं के लिए ली ही गई है। तत्पश्चात आरोपी हेमराज द्वारा रिश्वत प्राप्त करने की पुष्टि होने पर हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री दिनेश कानि0 360 से कार्यालय कक्ष में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीषीयां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशियों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशियों पर मार्क एलएच-1 एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री हेमराज की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री करन शाक्यवाल से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में पांच पांच सौ रूपये के तीन नोट मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से करवाया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामद नोटां के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स नोट का विवरण नोट का नम्बर 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 PS 543584 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6 UW 647966 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 FL 623554 बरामद रिश्वत राशि पांच पांच सौ के तीन नोटों कुल 1500/- रूपये को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त आरोपी हेमराज के पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मॉडल वीवो वी-29ई बरंग डार्क ब्राउन जिस पर अग्रेजी में VIVO ADVANCED ASPHERICAL HIGH DEFINITION PHOTOGRAPHY OIS लिखा हुआ था। जिसमें दो सिम कार्ड एयरटेल नम्बर [redacted] व दूसरी सिम रिलायंस जियो नम्बर [redacted] डली थी। मोबाईल का आईएमईआई नम्बर 863405067312337, 863405067312329 था। मोबाईल को आरोपी के परिजन आने पर कार्यवाही में वांछित नहीं होने से पृथक से सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक की पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की बांयी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के परिचित से पहनने के लिये पजामा मंगवाकर पहनी हुई जिंस की पेन्ट को खुलवाकर मंगवाया गया पजामा पहनाया गया तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक की जिंस की पेन्ट की पीछे की बायीं जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का मटमैला गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सीलचिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा प्रयोग में लिये गये लास्टिक के डिस्पोजल गिलोसो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक की हाथ धुलाई, पेन्ट की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत मोबाईल में प्रथक से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। परिवादी श्री हरिसिंह के पैण्डिग कार्य सम्बन्धि मूल रजिस्टर्ड पट्टे के दस्तावेज परिवादी के लॉन व अन्य कार्य हेतु आवश्यक होने से मूल रजिस्टर्ड पट्टे की छायाप्रति श्री महेन्द्र सिंह उप पंजीयक शाहबाद से सत्यापित करवाकर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो ली

गई। दिनांक 09.10.2024 समय 05.40 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाहान श्री करन शाक्यवाल व श्री महेन्द्र सिंह की मौजूदगी में परिवादी श्री हरिसिंह की निषादेही से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल तहसील कार्यालय शाहबाद का नक्षा मौका नजरी निरीक्षण नियमानुसार मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर फर्द नक्षा मौका शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 06.25 पी0एम0 पर आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक से उसके आवासीय मकान के बारे में पुछा तो आरोपी हेमराज ने किसी अन्य के नाम आवंटित क्वाटर में शामलाती रहना बताया । इसलिए आरोपी के आवासीय क्वाटर की खाना तलाषी नही ली जा सकी। दिनांक 09.10.2024 समय 06.30 पी0एम0 पर मौके पर काफी भीड एकत्रित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से व बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था तहसील कार्यालय में नही होने से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक मय आर्टीकल्स मय रिश्वत राशि के साथ लाये वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय शाहबाद से रवाना होकर पुलिस थाना शाहबाद पहुंचा। जहां थानाधिकारी श्री प्रेमसिंह उपस्थित मिले जिनसे अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त कर थाने के कम्प्यूटर कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 09.10.2024 समय 06.50 पी0एम0 पर परिवादी श्री हरिसिंह व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश चलाकर दोनो गवाहन एवं परिवादी के समक्ष सुनाये गये। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री हेमराज टाटीवाल पुत्र श्री स्व0 कानाराम जाति बैरवा उम्र 33 साल निवासी म0न0 ई-8 प्रेमनगर द्वितिय गुर्जर की थडी जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री हरिसिंह से दिनांक 07.10.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 500/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व दिनांक 09.10.2024 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान 1500/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें । आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा आरोपी ने फर्द पर " मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 07.30 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री हेमराज टाटीवाल पुत्र श्री स्व0 कानाराम जाति बैरवा उम्र 33 साल निवासी म0न0 ई-8 प्रेमनगर द्वितिय गुर्जर की थडी जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पूर्ण पद का परिचय देकर, गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द एवं चैक लिस्ट अनुसार गिरफ्तार किया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 08.10 पी0एम0 पर डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के लेपटॉप में लगवाकर दिनांक 09.10.2024 को परिवादी हरिसिंह व आरोपी हेमराज के मध्य हुई रिश्वत लेन देने वार्ता को स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष सुनाया गया जिसमें परिवादी द्वारा अपनी व आरोपी हेमराज की आवाज पहचान की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता हू ब हू टाईप करवाकर तैयार करवाई गयी जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 09.10.2024 समय 10.30 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 09.10.2024 को बरामदगी एवं हाथ धुलाई के समय मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डालकर बरामदगी एवं हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियोग्राफी तैयार की गई थी। मोबाईल को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड की गई विडियोग्राफी की पृथक पृथक 03 पैन ड्राईव sandisk 32GB में लेकर डब करवाये गये। जिसमें से एक पैन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु, एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए प्रथक प्रथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप से हैश वैल्यू की गणना कर प्रिन्ट लेकर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड sandisk 32GB को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सिलचिट मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 09.10.2024 समय 11.00 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 07.10.2024 परिवादी श्री हरिसिंह व आरोपी श्री हेमराज कनिश्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.10.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ताएं (241007_325, 241009_1514) जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को श्री मनोज कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से 04 पेन ड्राईव sandisk 32GB में श्री मनोज कानि0 211 से डब करवाई गयी। जिसकी डंबिग पेन ड्राईव श्री मनोज कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पैन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान

अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जर्ये लेपटोप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये kdm 32 GB मेमोरी कार्ड को न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 09.10.2024 समय 11.15 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक मय जब्तशुदा आर्टीकल्स व ट्रेप उपकरणो को साथ लेकर प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी बारां रवाना होकर समय 12.45 ए0एम0 पर एसीबी चौकी बारां पहुंचा। आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाकर जब्तशुदा आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी श्री लोकेश कानि0 362 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाकर सुरक्षित रखवाये गये। ट्रेप कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद परिवादी श्री हरिसिंह व स्वतन्त्र गवाहान श्री करन शाक्यवाल व श्री महेन्द्र सिंह को सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 10.10.2024 समय 01.00 ए0एम0 पर कार्यालय पत्रांक एसपीएल-1, एसपीएल-2 दिनांक 10.10.2024 मुर्तिब कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली बारां की हवालात में आरोपी हेमराज क0स0 को रखने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री हेमराज को साथ लेकर सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह 530 के राजकीय चिकित्सालय बारां रवाना हुआ। दिनांक 10.10.2024 समय 01.30 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय सरकारी वाहन चालक के आरोपी हेमराज क0स0 का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपी को थाना कोतवाली बारां की हवालात में सुपुर्द कर वापस चौकी बारां आया। सम्पूर्ण कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी श्री हरिसिंह ने ब्यूरां कार्यालय एसीबी बारां मे दिनांक 01.10.2024 को उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। परिवादी कि षिकायत पर दिनांक 07.10.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी हरिसिंह की मां बेबी कंवर के नाम मकान का रजिस्ट्री शुदा पटटा देने की एवज में 500 रूपये प्राप्त किये तथा बाकि 1500 रूपये बाद में लेने के लिये सहमत हुआ। दिनांक 09.10.2024 ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री हेमराज कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद को रिश्वत राशि 1500 रूपये प्राप्त करने पर रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई नीली जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांयी जेब से बरामद की गई। आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो का धौवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी की पहनी हुई नीली जीन्स की पेन्ट की पीछे की बांयी जेब का धौवन लिया गया जिसका रंग हल्का गुलाबी मटमैला प्राप्त हुआ। आरोपी हेमराज द्वारा उक्त राशि स्वयं के लिये प्राप्त करना स्वीकार किया। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया। आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी हरिसिंह व आरोपी हेमराज के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.10.2024 व रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 09.10.2024 से आरोपी हेमराज कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) द्वारा 2,000 रूपये की मांग कर 500 रूपये दिनांक 07.10.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करने तथा 1500 रूपये दिनांक 09.10.2024 को दौरान ट्रेप कार्यवाही प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.10.2024, फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 09.10.2024, आरोपी के धौवन सैम्पल, नमूना आवाज नोटिस व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री हेमराज टाटीवाल पुत्र श्री स्व0 कानाराम जाति बैरवा उम्र 33 साल निवासी म0न0 ई-8 प्रेमनगर द्वितिय गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड जयपुर राज0 हाल कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेमचंद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री हेमराज टाटीवाल पुत्र श्री स्व0 कानाराम उम्र 33 साल निवासी म0न0 ई-8 प्रेमनगर द्वितिय गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड जयपुर राज0 हाल कनिष्ठ सहायक (पंजीयन) कार्यालय तहसीलदार तहसील शाहबाद जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचंद उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टै0 कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 655 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1243-46 दिनांक 11.10.2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा। 2.जिला कलक्टर बांरा। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांरा। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Tara Chand **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]0/2024 2[illegible]6

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)